

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

आदेश

सं0सं0-ह0क0(10) विविध-35 / 2015 (खण्ड-I)

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के तहत बुनकरों तथा रंगाई कार्य से जूँड़े रंगरेज आर्टिजन को योजना का लाभ देने एवं ससमय योजना का क्रियान्वयन हेतु निदेशालय आदेश ज्ञापांक-1393 दि0-27.07.15 के क्रम में कहना है कि

(i) श्री रजनी कान्त रंजन, पर्यवेक्षक, बु0प्र0के0, झींगनगर, बिहारशरीफ आवंटित जिला नवादा के अतिरिक्त नालन्दा में भी योजना का कार्य करेंगे।

(ii) श्री उपेन्द्र कुमार बर्मा, पर्यवेक्षक, बु0प्र0के0, ओबरा, औरंगाबाद आवंटित जिला सिवान के अतिरिक्त औरंगाबाद में भी योजना का कार्य करेंगे।

अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।

ह0/-
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री रजनी कान्त रंजन, पर्यवेक्षक, बु0प्र0के0, झींगनगर, बिहारशरीफ / श्री उपेन्द्र कुमार बर्मा, पर्यवेक्षक, बु0प्र0के0, ओबरा औरंगाबाद / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा / औरंगाबाद, उ0वि0पदा0(वस्त्र), गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,

ज्ञापांक-

1461

पटना, दिनांक-

07/8/15

बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

४४